संख्या-25/1473/41-2014-21 यो0/13

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक:: 31 जुलाई, 2014

विषय: केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के ग्राम गहमर में गंगा के तट पर नरवा घाट के निर्माण की योजना की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2464 (1)/6-1-1 (457)/यो0/2014, दिनांक-23.06.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2)- वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश सं0-3657/41-2013-21 यो0/13, दिनांक-04.03.2014 द्वारा केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के ग्राम गहमर में गंगा के तट पर नरवा घाट के निर्माण के लिये कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-462.62 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रू0-93.07 लाख के सापेक्ष रू0-93.07 लाख की प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में त्रुटिवश प्रशासकीय स्वीकृति रू0-462.62 लाख अंकित हो गया है जबकि वास्तव में यह धनराशि रू0-464.62 लाख है। अत: पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक-04.03.2014 के क्रम में योजना के क्रियान्वयन हेतु दितीय किश्त के रूप में रू0-200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

http://gnasanadesh.up.nic.in

1- भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र संख्या-5 पीएनसी (19)/2013, दिनांक-29.09.2013 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृति पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यो हेतु किसी अन्य स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

7- योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेंट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://sharadesh.up.nic.in

<u>संख्या-25/1473 (1)/41-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मण्डलायुक्त, वाराणसी/जिलाधिकारी, गाजीपुर ।
4. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री/निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री पर्यटन।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी।
10. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in